



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दोषमुक्ति अपील संख्या 64/2017

निर्णय सुरक्षित किया गया : 11.06.2025

निर्णय पारित किया गया : 20.06.2025

धनीराम पाठक, पिता श्री महेश प्रसाद पाठक, आयु 58 वर्ष, निवासी ग्राम पहाड़ी निवार, पुलिस थाना माधवगढ़ चौकी, निवार, नागरिक तथा राजस्व जिला कटनी, मध्य प्रदेश।

---अपीलार्थी

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना के द्वारा पंडरी जिला, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. सतीश दुबे, पिता रविशंकर दुबे, आयु 34 वर्ष, निवासी लक्ष्मी नगर, मोवा, पुलिस थाना पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़, स्थायी पता ग्राम बुधेरा, पुलिस थाना जेवर, जिला कटनी, मध्य प्रदेश
3. रविशंकर दुबे, पिता हरिमोहन दुबे, 58 वर्ष
4. मनोरमा दुबे, पति रविशंकर दुबे, 55 वर्ष
5. कू। शैली दुबे, पिता रविशंकर दुबे, 22 वर्ष
6. श्रद्धा दुबे, पिता रविशंकर दुबे, 25 वर्ष, उत्तरवादी संख्या 3 से 6 लक्ष्मी नगर मोवा, पुलिस थाना पंडरी रायपुर, छत्तीसगढ़ स्थायी पता गाँव मुधारा, पुलिस थाना बड़वाड़ा, जिला, कटनी, मध्य प्रदेश के निवासी हैं
7. अमित पांडे, पिता सियाशरण पांडे, 34 वर्ष 8. श्रीमती. सीमा पांडे, पति अमित पांडे, आयु लगभग 35 वर्ष, उत्तरवादी संख्या 7 और 8 लक्ष्मी नगर, मोवा, पुलिस थाना पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ गाँव निपनिया, पुलिस थाना व्योहारी जिला शहडोल, मध्य प्रदेश के निवासी हैं।

-----उत्तरवादीगण



अपीलार्थी हेतु :	:	श्री केशव देवांगन, अधिवक्ता।
उत्तरवादी संख्या 1 हेतु	:	श्री आर. एन. पुस्टी, शासकिय अधिवक्ता।
उत्तरवादी संख्या 2 से 8 हेतु	:	श्री सतीश चंद्र वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अभिषेक पांडे और श्री सजल गुप्ता, अधिवक्ता।

माननीय श्री संजय एस. अग्रवाल, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री राधाकिशन अग्रवाल, न्यायाधीश

सी ए वी निर्णय

राधाकिशन अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1. अपीलार्थी/परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह दोषमुक्ति अपील सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 301/2013 में दिनांक 05.12.2015 को पारित निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण/उत्तरवादी क्रमांक 2 से 8 को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'भा.दं. सं. ') की धारा 304-बी के तहत वैकल्पिक धारा 304 सहपठित 34 के तहत आरोप से दोषमुक्त कर दिया था।

2. अभियोजन का प्रकरण, संक्षेप में, यह है कि दिनांक 12.07.2013 को उत्तरवादी क्रमांक 2 सतीश दुबे अपनी पत्नी/मृतक अंजनी दुबे को बी.आर. अंबेडकर अस्पताल, रायपुर ले गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया और इसकी सूचना पुलिस थाना, मौदहापारा, रायपुर को दी गई, जिसके अनुसरण में प्र.पी.-21 के माध्यम से मर्ग सूचना दर्ज की गई। प्र.पी.-4 के तहत मृत्यु-समीक्षा कार्यवाही की गई तथा मृतक के शव को शव परीक्षण हेतु भेजा गया, जहां पी.डब्ल्यू.-11 डॉ. एस.के. भाग ने पोस्टमार्टम किया तथा प्र.पी.-17 के तहत अपनी रिपोर्ट दी। पी.डब्ल्यू.-11 डॉ. एस.के. भाग के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण फांसी के कारण दम घुटना था। तत्पश्चात, दिनांक 15.07.2013 को मृतका के पिता पी.डब्ल्यू.-2 धनीराम पाठक ने पुलिस थाना पंडरी-मोवा, रायपुर में लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी.-2) दर्ज कराई, जिसमें बताया कि उनकी पुत्री/मृतका अंजनी दुबे का विवाह 7 जून, 2011 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 2 सतीश दुबे के साथ हुआ था। विवाह के तुरंत पश्चात्, उसकी पुत्री/मृतका-अंजनी दुबे उसके ससुराल आ गई और विवाह के कुछ समय पश्चात अभियुक्तगण उसे अपर्याप्त दहेज लाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे तथा दहेज में मोटरसाइकिल न लाने की बात कहकर उसके साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट भी करते थे तथा उसे अपने मायके से पैसे लाने के लिए भी विवश करते थे, जिस पर उसने उत्तरवादी क्रमांक 2 सतीश दुबे को 52,000/- रुपये की धनराशि दी थी। उसके पश्चात दिनांक 12.07.2013 को उत्तरवादी क्रमांक 2 ने उसे दूरभाष पर अपनी पुत्री/मृतका को वापस ले जाने के लिए कहा तथा एक रिश्तेदार से पूछताछ करने पर उसे पता चला कि उसकी पुत्री/मृतका की मृत्यु हो गई है। लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी.-2) के आधार



पर, अभियुक्तगण/उत्तरवादी संख्या 2 से 8 के विरुद्ध एफआईआर (एक्स.पी-6) दर्ज की गई है। अन्वेषण के दौरान, एक्स.पी-1 के अनुसार, दुपट्टे के टुकड़े, एक दरांती, एक आत्महत्या नोट और रजिस्टर के पृष्ठ जब्त किए गए और एक्स.पी-7 के अनुसार घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया था।

3. साक्षियों के बयान दर्ज किए गए और अन्वेषण पूरी होने के बाद, अभियुक्तों/उत्तरवादी संख्या 2 से 8 के विरुद्ध धारा 304-बी के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ वैकल्पिक धारा 304-बी के अंतर्गत, संबंधित विचारण न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियुक्तों/उत्तरवादी संख्या 2 से 8 ने अपने अपराध से इनकार किया और विचारण हेतु प्रार्थना की।

4. अभियोजन पक्ष ने अपराध सिद्ध करने के लिए, अपने मामले के समर्थन में 15 साक्षियों से परीक्षा की और उत्तरवादी संख्या 2 से 8/अभियुक्तों को संबंधित अपराध से जोड़ने वाले 21 दस्तावेज प्रस्तुत किए। हालाँकि, अपने बचाव में, उत्तरवादी संख्या 2 से 8 / अभियुक्त व्यक्तियों ने एक साक्षी अर्थात् डी.डब्ल्यू.-1 रवि चतुर्वेदी से परीक्षा की है और एक दस्तावेज अर्थात् एक्स.डी.-1 प्रदर्शित किया है।

5. विचारण न्यायालय ने, पक्षों के अधिवक्तागण की सुनवाई करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात, अपने निर्णय द्वारा अभियुक्तगण/उत्तरवादी संख्या 2 से 8 को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

6. अपीलकर्ता/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा विकृत निष्कर्ष दर्ज करके अभियुक्तगण/उत्तरवादी संख्या 2 से 8 को उक्त आरोपों से दोषमुक्त करना अनुचित है। उन्होंने आगे कहा कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि विवाह के पश्चात, मृतका अंजनी दुबे को उत्तरवादी संख्या 2 से 8 द्वारा दहेज की मांग के लिए क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जैसा कि मृतका के पिता पी.डब्ल्यू.-2 धनीराम पाठक और अन्य अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयानों से स्पष्ट है और इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किए बिना अभियुक्तगण/उत्तरवादी संख्या 2 से 8 को दोषमुक्त करने में गंभीर त्रुटि की है। इस प्रकार, दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय विकृत और अवैध है, इसलिए इसे अपास्त किया जाना चाहिए। **वी.के. मिश्रा एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य (2015) 9 एससीसी 588** में दर्ज मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

7. दूसरी ओर, अभियुक्तगण/उत्तरवादी संख्या 2 से 8 के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया तथा प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि उत्तरवादी संख्या 2 से 8 द्वारा कभी भी दहेज की मांग की गई थी, यहां तक कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले भी दहेज की मांग की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि घटना से पहले, मृतका या उसके रिश्तेदारों द्वारा अभियुक्तों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि लिखित रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ है और इसके लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मृतका के पिता अभियोक्ता-2 धनीराम पाठक और मृतका के भाई अभियोक्ता-3 कृष्ण पाठक के बयानों में पर्याप्त विरोधाभास



और चूक हैं और उनके बयान एक-दूसरे और अन्य अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयानों से मेल नहीं खाते हैं। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय सर्वथा योग्य है और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **नेपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2009) 12 एससीसी 351 और भास्कर रामप्पा मदार एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2009) 11 एससीसी 690** के मामलों में दिए गए निर्णयों और **छत्तीसगढ़ राज्य बनाम हरेश वर्मा (2025 एससीसी ऑनलाइन अध्याय 2718)** के मामले में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

8. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ता/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का समर्थन करते हैं।

9. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

10. सर्वोच्च न्यायालय ने **जफरुद्दीन एवं अन्य बनाम केरल राज्य के मामले में (2022) 8 एससीसी 440** में रिपोर्ट किया कि दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश पर विचार किया गया है, जो इस प्रकार है:---

"25. द. प्र. सं. कि धारा 378 का प्रयोग करके दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय, अपीलीय न्यायालय को यह विचार करना होगा कि क्या विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को संभावित दृष्टिकोण माना जा सकता है, विशेषकर तब जब अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण किया गया हो। कारण यह है कि दोषमुक्त करने का आदेश अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा को और पुष्ट करता है। इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्त करने वाले विचारण न्यायालय के आदेश को पलटने में अपेक्षाकृत धीमी गति से काम करना पड़ता है। अतः, अभियुक्त के पक्ष में धारणा कमजोर नहीं होती है, बल्कि और मजबूत होती है। अभियुक्त के पक्ष में बनी ऐसी दोहरी धारणा को केवल स्वीकृत विधिक मानदंडों पर गहन जाँच करके ही तोड़ा जा सकता है।"

11. फिर भी, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने हरेश वर्मा (सुप्रा) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के **राजस्थान राज्य बनाम किस्तूरा राम मामले में 2022** में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए एससीसी ऑनलाइन एससीसी 984 में बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश पर भी विचार किया। कंडिका 21 सुसंगत है और संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है:---

"21. हाल ही में, दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप के दायरे को नियंत्रित करने वाले विधि को लागू करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 एससीसी ऑनलाइन एससीसी 984 में रिपोर्ट किए गए "राजस्थान राज्य बनाम किस्तूरा राम" के मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया है:---

"8. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है। जब तक यह न पाया जाए कि न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय असंभव या विकृत है, दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इसी प्रकार, यदि दो दृष्टिकोण संभव हों, तो केवल इसलिए दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करना उचित नहीं है कि



अपीलीय न्यायालय को दोषसिद्धि का मार्ग अधिक संभावित लगता है। हस्तक्षेप तभी उचित होगा जब लिया गया निर्णय बिल्कुल भी संभव नहीं है।

12. धारा 304-बी के प्रावधानों को लागू करने के लिए, अपराध के मुख्य तत्वों में से एक, जिसे स्थापित करना आवश्यक है, यह है कि "उसकी मृत्यु से ठीक पहले" उसे "दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में" क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। भा.दं. सं. की धारा 304-बी और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113 बी में प्रयुक्त "उसकी मृत्यु से ठीक पहले" शब्द निकटता परीक्षण के विचार के साथ मौजूद है।

13. उपर्युक्त प्रावधानों से संबंधित सिद्धांतों के संबंध में, यह न्यायालय **वी.के. मिश्रा एवं अन्य (सुप्रा)**, के. प्रेमा एस. राव बनाम यदला श्रीनिवास राव 1 एवं कालियापेरुमल बनाम तमिलनाडु राज्य 2 में प्रतिवेदित निर्णयों का संदर्भ लेना चाहता है।

14. वी.के. मिश्रा एवं अन्य (सुप्रा) में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:—

“7. भा.दं. सं. की धारा 304-बी लागू करने के लिए आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं:—

1. महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट लगने या सामान्य परिस्थिति के अलावा किसी अन्य कारण से हुई हो।

2. ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो।

3. उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो।

4. ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित हो।

5. ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न महिला की मृत्यु से ठीक पहले किया गया हो।

उपर्युक्त आवश्यक तत्वों के सिद्ध होने पर, न्यायालय के लिए यह अनुमान लगाना अनिवार्य हो जाता है कि अभियुक्त ने दहेज हत्या का कारण बनाया गया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी और आईपीसी की धारा 304 बी का संयुक्त अध्ययन यह दर्शाता है कि यह दर्शाने के लिए सामग्री अवश्य होनी चाहिए कि पीड़िता की मृत्यु से कुछ समय पहले उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। 'घटना से कुछ समय पहले' एक सापेक्ष शब्द है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और 'घटना से कुछ समय पहले' की अवधि क्या होगी, इसके लिए कोई निश्चित सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दहेज की मांग से संबंधित क्रूरता के तथ्यों और मृत्यु के बीच कोई निकटस्थ जीवंत संबंध नहीं होना चाहिए। यदि क्रूरता की कथित घटना समय से परे है और इतनी पुरानी हो गई है कि संबंधित महिला का मानसिक संतुलन बिगड़ न सके, तो इसका कोई महत्व नहीं होगा।

15. के. प्रेमा एस. राव (सुप्रा) में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:—



- “16. ... भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के प्रावधानों को लागू करने के लिए, अपराध के मुख्य तत्वों में से एक, जिसे स्थापित किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि 'उसकी मृत्यु से ठीक पहले' उसे 'दहेज की मांग के संबंध में' क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था।”

16. अब प्रश्न यह है कि क्या अपराध का एक तत्व यह सिद्ध होता है कि मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में अभियुक्तगणों द्वारा मृतका के साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था?

17. मृतका के पिता अभि.सा.-2 धनीराम पाठक ने कथन किया है कि विवाह के एक माह पश्चात् जब उनके पुत्र/अभि.सा.-2 कृष्णा पाठक और दामाद/अभि.सा.-4 पुष्पराज तिवारी मृतका को लाने रायपुर गए, उस समय अभियुक्तगण/उत्तरवादी क्रमांक 2 से 8 ने उनसे कहा कि उन्होंने कम दहेज दिया है तथा मृतका से कहा कि जब वह ससुराल आएगी तो मोटरसाइकिल लेकर आए। उन्होंने आगे कहा कि जब उनकी पुत्री/मृतका अपने ससुराल लौटी, तो आरोपियों ने यह कहते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट शुरू कर दी कि वह मोटरसाइकिल क्यों नहीं लाई। उन्होंने यह भी कहा कि तीन दिन बाद मृतका ने उन्हें टेलीफोन पर बताया कि आरोपी कम दहेज लाने के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते थे, लेकिन मृतका ने उन्हें स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि अभियुक्त मोटरसाइकिल या पैसे की मांग के लिए उसे परेशान करते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि जब उनकी पुत्री/मृतका अपने मायके आई थी, उस समय भी उसने उन्हें अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर किए गए उत्पीड़न के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने अभियुक्तगण द्वारा मोटरसाइकिल या पैसे की मांग के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने यह भी कहा है कि एक बार, जब उत्तरवादी संख्या 2 सतीश दुबे पैसे की मांग कर रहा था, तो उन्होंने अपनी पुत्री/मृतका को 7,000 रुपये की राशि भेजी थी। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने अपने पुत्र/अभियुक्त-2 कृष्ण पाठक के माध्यम से मृतका की सास को पुनः 52,000/- रुपये नकद भेजे थे, लेकिन इसके विपरीत अभियुक्त-2 कृष्ण पाठक ने अपने बयान में कहीं भी यह नहीं कहा है कि उन्होंने मृतका की सास को 52,000/- रुपये दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि पंचनामा कार्यवाही के दौरान उन्होंने मृतका के सिर पर चोट के निशान और उसके हाथ, पैर और पीठ पर मारपीट के निशान देखे थे, लेकिन अभियुक्त-11 डॉ. एस.के. बाग, जिन्होंने मृतका की जांच की थी, को मारपीट के ऐसे कोई निशान नहीं दिखाए। इसके विपरीत, जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि जब भी मृतका अपने मायके आती थी, तो आरोपीगण उसे खुशी-खुशी विदा कर देते थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि घटना से पहले उन्होंने दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न के संबंध में अभियुक्तगण के खिलाफ किसी भी पुलिस थाना या समुदाय में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें उनकी पुत्री/मृतका और पुत्र/पीडब्लू-2 कृष्ण पाठक के बीच हुई बातचीत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी-2) में, पहले उन्होंने रवि भूषण चतुर्वेदी और वाशुदेव प्यासी के नाम का उल्लेख किया था, लेकिन उसके बाद, उन्होंने उनके नामों को पेन से ओवरराइट कर दिया और अभियुक्तों में से एक के रूप में पीडब्लू-7 अमित पांडे और पीडब्लू-8 सीमा पांडे का नाम लिखा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें अपनी पुत्री/मृतका द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट के बारे में कोई



जानकारी नहीं थी और पुलिस ने उन्हें मृतका के सुसाइड नोट के बारे में बताया था, लेकिन सुसाइड नोट में क्या लिखा था, पुलिस ने उन्हें नहीं बताया।

18. मृतका के भाई अभि० सा०-3 कृष्ण पाठक ने बताया है कि घटना के 2-3 दिन पूर्व मृतका ने उसे दूरभाष पर बताया था कि अभियुक्तगण उसे कम दहेज लाने के लिए परेशान कर रहे हैं तथा उससे 20,000/- रुपये की नकदी की मांग कर रहे हैं, तथापि उक्त तथ्य का उल्लेख लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी-2) तथा मृतका के पिता अभि० सा०-1 धनीराम पाठक के कथन में भी नहीं किया गया है। प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने दहेज की मांग के संबंध में अभियुक्तगण के खिलाफ किसी भी पुलिस थाना में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि पुलिस ने उनके पिता/पीडब्लू-1 धनीराम पाठक को मृतका द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट के बारे में सूचित किया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मृतका अपने ससुराल वालों से नाराज नहीं थी और उनका मानना था कि अगर वह अच्छा व्यवहार करेगी, तो वे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे।

19. अभि० सा०-4 पुष्पराज तिवारी, अभि० सा०-1 धनीराम पाठक के दामाद, ने यद्यपि अपने बयान में कहा है कि अभियुक्तगणों ने मृतका से कहा था कि जब भी वह अपने ससुराल आये तो मोटरसाइकिल लेकर आये, किन्तु अपने पुलिस बयान (एक्स.डी-1) में उसने यह नहीं कहा है कि अभियुक्तगणों ने मृतका से मोटरसाइकिल की मांग की थी।

20. अभि० सा०-5 संतोष कुमार पाठक, मृतका के चाचा, ने कहा है कि उसका भाई/अभि० सा०-2 धनीराम उसे मृतका को ससुराल में हो रहे उत्पीड़न के बारे में बताया करता था, किन्तु जिरह में उसने स्वीकार किया कि उसने इस सम्बन्ध में मृतका से कभी नहीं पूछा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बयान देते समय उन्होंने पुलिस को यह नहीं बताया था कि मृतका को उसके ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था और यह भी नहीं बताया था कि उत्तरवादी क्रमांक 2 सतीश दुबे और उसकी मां ने उन्हें बताया था कि उन्होंने मृतका की हत्या कर दी है और उन्होंने पहली बार न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य का खुलासा किया था।

21. अभि० सा०-6 आर.एस.साहू, अन्वेषण अधिकारी ने जिरह में स्वीकार किया कि मर्ग कार्यवाही के दौरान उन्हें पता चला कि मृतका ने एक सुसाइड नोट लिखा है और उन्होंने उसे पढ़कर भी सुनाया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मृतका द्वारा लिखे गए उक्त नोट में अभियुक्तगणों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं था, बल्कि उसमें लिखा था कि वह अपनी इच्छा से मरने जा रही है। इसके बाद, उन्होंने उक्त सुसाइड नोट को जब्त कर अन्वेषण के लिए भेज दिया और सुसाइड नोट की जेरॉक्स प्रति भी उपलब्ध करा दी। इसके अतिरिक्त, नगर पुलिस अधीक्षक, पी.डब्लू.-10 राकेश भट्ट ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उन्होंने मृतका का सुसाइड नोट देखा था, जिसमें लिखा था कि वह अपनी इच्छा से मरने जा रही है।

22. उपरोक्त के अतिरिक्त, अभि० सा०-11 डॉ. एस.के. बाग ने कहा है कि परीक्षण के दौरान, यद्यपि उन्हें मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले, परन्तु उन्होंने कहा है कि, वह चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए अपर्याप्त थी और उनके अनुसार, मृतक की मृत्यु फांसी के कारण दम घुटने से हुई।



प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने स्वीकार किया कि मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें मृतक के शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले।

23. इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक के पिता पी.डब्लू.-2 धनीराम पाठक और पी.डब्लू.-3 कृष्णा पाठक तथा अन्य अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयानों में अभियुक्तों द्वारा कथित दहेज की मांग के संबंध में भौतिक विसंगतियां हैं और उनके बयान एक-दूसरे से तथा लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी.-2) की विषय-वस्तु से मेल नहीं खाते हैं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप आकस्मिक, बेबुनियाद और बहुप्रचारित हैं, इसलिए उनके साक्ष्य की विश्वसनीयता संदिग्ध है। इसके अलावा, लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी.-2) में अभियुक्तगण द्वारा 52,000/- रुपये, 20,000/- रुपये और 7,000/- रुपये की मांग के संबंध में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है और मृतक के भाई पीडब्लू.-3 कृष्ण पाठक ने भी अपने बयान में अभियुक्तगण द्वारा मोटरसाइकिल और 52,000/- रुपये की नकदी की मांग के बारे में कहीं भी नहीं कहा है। इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि हालांकि अन्वेषण के दौरान, एक्स.पी.-1 (जब्ती ज्ञापन) के माध्यम से एक सुसाइड नोट जब्त किया गया था जिसमें लिखा था कि मृतक अपनी इच्छा से मरने जा रही है और उसके द्वारा अभियुक्तगण के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था और यह पीडब्लू.-6 आर.एस. साहू, आई.ओ. के साक्ष्य से स्पष्ट है। तथा पीडब्लू.-10 राकेश भट्ट, सी.एस.पी., लेकिन सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि कथित आत्मघाती नोट का कोई चित्रण नहीं था और न ही उसे प्रदर्शित किया गया था और इसके विपरीत, आत्मघाती नोट की एक प्रति अभिलेख के साथ संलग्न की गई थी, जबकि यह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होने के कारण अभिलेख पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी.-2) की विषय-वस्तु दर्शाती है कि घटना 12.07.2013 को घटित हुई थी, लेकिन मृतक के पिता पी.डब्लू.-2 धनीराम पाठक ने 15.07.2017 को लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी.-2) दर्ज कराई, जिसके लिए उनके द्वारा लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी.-2) दर्ज कराने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसके अलावा, विचाराधीन अपराध में अभियुक्तगण/उत्तरवादी संख्या 2 से 8 की संलिप्तता दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई ठोस और निर्णायक साक्ष्य नहीं है। यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि अभियोजन पक्ष के साक्षी पीडब्लू.-2 धनीराम पाठक, मृतक के पिता और पीडब्लू.-3 कृष्ण पाठक, मृतक के भाई, मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं और इसके बावजूद, उनके बयान एक-दूसरे के साथ पुष्टि नहीं करते हैं और इससे भी अधिक, अन्य अभियोजन पक्ष के साक्षियों और लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी.-2) की सामग्री के साथ भी पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि उनके बयानों में भौतिक विरोधाभास और चूक हैं, जो अभियोजन पक्ष के लिए घातक है और अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की और संपूर्ण साक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि मृत्यु से ठीक पहले, अभियुक्तों / उत्तरवादी संख्या 2 से 8 ने दहेज की मांग के लिए मृतक को परेशान किया था और अभियुक्तों ने किसी भी तरह से मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया था और इस प्रकार, उन्हें उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है।



24. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित विस्तृत निर्णय पर विचार करने के पश्चात्, हमारा यह सुविचारित मत है कि अभियुक्तगण/उत्तरवादी संख्या 2 से 8 को उक्त आरोप से दोषमुक्त करने वाला निर्णय न्यायसंगत एवं उचित है तथा इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

25. तदनुसार, अभियुक्तगण/उत्तरवादी संख्या 2 से 8 को दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपीलकर्ता/परिवादी द्वारा की गई यह अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

सही/-
(संजय एस. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

